न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 11/10 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2010/00032)

1. मिथलेश पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नि देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी समेल तहसील नूंह जिला गुडगांवा हरियाणा।
2. श्रीमती शिवकुमारी पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी महलपुर तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर।
3. श्रीमती सविता पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नि भूरीसिंह जाति राजपूत निवासी महलपुर तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर।
4. श्रीमती निराशा पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नि गुड्डू जाति राजपूत निवासी वागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा कुमारी पुत्री हुकमसिंह पत्नि दातारसिंह जाति राजपूत निवासी महमतपुर तहसील कामां जिला भरतपुर।
2. श्रीमती रामेश्वरी पुत्री हुकमसिंह पत्नि हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़ौदा मैव तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर।
3. श्रीमती रामा पुत्री हुकमसिंह पत्नि लक्ष्मनसिंह जाति राजपूत निवासी ऊदयपुरी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
4. अजीतसिंह पुत्र स्व0 पूरनसिंह जाति राजपूत निवासी धाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. हेमलता वेवा स्व0 पूरनसिंह।
6. मिटठनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति ठाकुकर निवासी धाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...........असल रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्व आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 05.04.2010 अपील संख्या 90/08 उनवानी कृष्णा कुमारी वगैराह बनाम मिटठन सिंह वगैराह व नामांतकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 नायब तहसीलदार रूपवास।

उपस्थिति:—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलान्टस।

निर्णय

दिनांक:— 17.07.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट की ओर से तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष नायब तहसीलदार रूपवास की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 के विरूद्ध अपील पेश की गई। इस अपील को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रूपबास को इस निर्देश

17.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक हुकम सिंह के विरासत की जांच करने व पक्षकारान को सुनने के बाद पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई व अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2010 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 को लगभग 18 वर्ष बाद चैलेन्ज किया गया है। जिसका इतने समय बाद कोई औचित्य नहीं था। उक्त नामांतकरण मृतक हुकम सिंह की विरासत का उसके दो पुत्रों राजेन्द्र सिंह जो कि अपीलान्टस संख्या 1 से 3 के पिता व अपीलान्ट संख्या 4 के पति थे व मिठ्ठन सिंह रैस्पोडेन्ट संख्या 6 के पक्ष में तस्दीक किया गया था। जिससे रैस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 3 व चौथी बहन मृतक शांति देवी सहमत थी तथा उन्होंने कभी भी अपने पिता की भूमि में से विरासत के आधार पर भूमि नहीं ली एवं नामांतकरण अपने दोनों भाइयों के नाम दर्ज व तस्दीक करवा दिया था। राजेन्द्र सिंह की मृत्यु होने के कारण विवादित भूमि में अपीलान्टस का नाम दर्ज व तस्दीक होने के कारण खातेदारी में आ गई है। इतने दिनों बाद नामांतकरण को चैलेन्ज करने का रैस्पोडेन्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय से पूर्व इस बिन्दु को नजरांदाज कर निर्णय दिनांक 05.04.2010 को पारित कर कानूनी भूल की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर भी कोई विचार नहीं किया और न ही अपीलाधीन निर्णय में इसके बारे में कोई उल्लेख ही किया। जबकि न्याय का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपील मियाद बाहर पेश किए जाने पर संबंधित न्यायालय को अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु निर्णय में पर्याप्त व उचित कारण दर्शाया जाना आवश्यक है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मियाद के बिन्दु को नजरांदाज कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का अधिकार अदालत मातहत को नहीं था। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के पिता एवं रैस्पोडेन्ट नंबर 6 के नाम लगभग 18 वर्ष पूर्व नामांतकरण दर्ज हुआ था। उसी समय वे खातेदार हो गए थे। रैस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 ने नामांतकरण दर्ज होने के 12 वर्ष के अन्दर न तो कभी नामांतकरण को चैलेन्ज किया और न ही कोई आपत्ति ही प्रस्तुत की। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भी रैस्पोडेन्ट नंबर 1 से 5 का कभी–भी नहीं रहा। उनका कब्जा लेने का अधिकार 12 वर्ष की अवधि निकल जाने के कारण समाप्त होने से वे स्पष्ट रूप से आउस्टर की श्रेणी में आ गए हैं। उनको जो खातेदारी अधिकार विरासत में प्राप्त हो सकते थे, वे समाप्त हो गए हैं। इसलिए नामांतकरण संख्या 462 को चैलेन्ज करने का रैस्पोडेन्टस को कोई अधिकार नहीं था, परन्तु इस बिन्दु को अदालत मातहत ने नजरांदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गलत है। रैस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर दी है तथा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट ने भी पहले ही सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी थी। उक्त भूमि क्रेतागण के नाम खातेदारी में दर्ज होने व कब्जा काश्त मौके पर क्रेतागण का ही है, जिन्हें रैस्पोडेन्ट की ओर से पक्षकार नहीं बनाया गया था। रैस्पोडेन्ट नंबर 6 ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर अपीलान्ट के विरूद्ध अपनी बहनों से मिलकर अपील करा दी, जिससे वह अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को भी बहनों के जरिये छीन सके। बहनों की ओर से भी रैस्पोडेन्ट संख्या 6 के द्वारा ही पैरवी की गई है। अदालत मातहत के द्वारा अपीलान्टस को किसी प्रकार के कोई नोटिस की तामील नहीं कराई गई। वरन् फर्जी तामील के आधार पर एकतरफा में कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2010 को पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि नामांतकरण को तस्दीक करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत को था। इस आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार किए गए नामांतकरण को नियम विरूद्ध बताया गया था जबकि नामांतकरण को स्वीकृत किए जाने के संबंध में तहसीलदार/नायब तहसीलदार को भू–राजस्व अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी प्राधिकारी की शक्तियों को केवल मात्र अधिसूचना के द्वारा ही प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। रैस्पोडेन्ट की ओर से विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में भी दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उक्त दावे को अपीलाधीन निर्णय से पूर्व अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवाकर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा नायब तहसीलदार रूपवास की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतकरण को 18 वर्ष बाद निरस्त करवाया है जो कि नियम विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2010 निरस्त कर नामांतकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्टस की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में नायब तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 462 दिनांक 26.12.1993 के विरूद्ध दिनांक 09.08.1995 को अपील पेश की गई थी। मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.08.1995 को रैस्पोडेन्ट के कहने पर होने का उल्लेख किया गया। इस प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अपीलान्ट की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से दिनांक 07.11.2000 को रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में पुनः रिस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2003 को प्रस्तुत किया गया। जिसे आदेश दिनांक 07.08.2003 के द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा खारिज किया गया। इस आदेश की अदालत हाजा में अपील पेश किए जाने पर अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 92/06 कृष्णा कुमारी बनाम मिटठन सिंह वगैराह में निर्णय दिनांक 03.09.2008 के द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.08.2003 निरस्त कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय पारित किए जाने हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को निर्देशित किया। उपरोक्त निर्णय की पालना में जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2010 को पारित किया है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में 18 वर्ष बाद अपील पेश किए जाने, 12 वर्ष तक क्लेम नहीं किए जाने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से रैस्पोडेन्ट को अदालत मातहत में अपील पेश करने का अधिकार नहीं था, सारहीन हो जाता है। इसके अलावा भी रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु इस्तदुआ की थी। जिसका अपीलान्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन नामांतकरण के संबंध में पूर्व से जानकारी रही हो। इसके अलावा मियाद संबंधी बिन्दु के संबंध में अदालत मातहत द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी पर्याप्त उचित आधार के विवेचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का उल्लेख कर अपने अभिमत में यह उल्लेख किया है कि विवादित नामांतकरण मृतक हुकमसिंह पुत्र रघुवीर सिंह के विरासत का मान कर स्वीकार किया है। मृतक हुकमसिंह की पुत्रियों का नाम विवादित नामांतकरण में दर्ज नहीं किया गया है। प्रचलित नियमों के तहत मृतक की पुत्रियों का नाम भी विरासत नामांतकरण में दर्ज होना चाहिए था। विवादित नामांतकरण की पुश्त पर अंकित मृतक हुकम सिंह के सजरा में अपीलान्ट पुत्रियों का नाम नहीं दर्शाया गया था। इस आधार पर विवादित नामांतकरण संख्या 462 को निरस्त किया जाकर मृतक की विरासत की जांच कर पुनः निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानकर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य मानते हुए प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे मृतक हुकम सिंह की विरासत की जांच करें तथा पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित यह तर्क कि नायब तहसीलदार रूपवास को नामांतकरण भरने के 45 दिन बाद नामांतकरण तस्दीक करने का अधिकार होने व इससे पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा ही नामांतकरण तस्दीक किए जा सकने का नियमों में प्रावधान होने के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा अपील स्वीकार की गई है, मानने योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय में जिला कलक्टर द्वारा अपने अभिमत में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। नामांतकरण संख्या 462 की पुश्त पर प्रशासक ग्राम पंचायत की ओर से मृतक हुकम सिंह का सजरा बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि जब अपीलाधीन नामांतकरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उस समय निर्वाचित ग्राम पंचायतें कार्यरत नहीं थीं। इस कारण प्रशासक की हैसियत से ग्राम सेवक द्वारा नामांतकण पर मृतक हुकमसिंह के वारिसान का सजरा बनाया गया था। उक्त नामांतकरण को स्वीकृत करने से पूर्व नायब तहसीदार द्वारा मृतक हुकमसिंह के वारिसान की विधिवत जांच करनी चाहिए थी। क्योंकि प्रशासक ग्राम पंचायत द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मृतक हुकमसिंह के कोई पुत्री नहीं होना बताया गया था। रैस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं को मृतक हुकमसिंह की पुत्री होना बता कर जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसका अपीलान्ट रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई प्रतिवाद अदालत मातहत में नहीं किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रैस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 3 व चौथी बहन शांति देवी सहमत थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता की भूमि में से विरासत के आधार पर भूमि नहीं ली। रैस्पोडेन्ट नंबर 6 द्वारा गलत रूप से अदालत मातहत में अपील प्रस्तुत करवाई गई थी। अर्थात् रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार हुकन सिंह की पुत्रियां होना निर्विवादित है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2010 जिसके द्वारा तहसीलदार रूपवास को यह निर्देश दिए गए हैं कि मृतक हुकम सिंह की विरासत की जांच करें तथा पक्षकारान को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करें, में कोई अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत विवादित नामांतकरण को निर्णित करने की शक्तियां तहसीलदार/नायब तहसीलदार में निहित हैं। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार रूपवास द्वारा नामांतकरण संख्या 465 दिनांक 26.12.1993 को मृतक खातेदार हुकमसिंह के सभी वारिसान के बारे में जांच करने के बाद स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण पुनः जांच हेतु तहसीलदार को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2010 के द्वारा प्रेषित किया गया है। इसमें भी तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि मृतक हुकम सिंह के विरासत की जांच करें तथा पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय ओयुक्त
भरतपुर